



शाखाः

[illegible]

विद्यमान खाताधारकों हेतु मीयादी जमा खाते के लिए खाता खोलने का फॉर्म (नये मीयादी जमा के मामले में)

मैं/हम आपसे निम्नलिखित विवरणों के अनुरूप मेरे/हमारे नाम से एसडीआर/एफडीआर (आरआईआरडी/क्यूआईपी/एमआईपी) /अन्य खोलने हेतु अनुरोध करता/करती हूँ/करते हैं

पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	विद्यमान ग्राहक आईडी	जन्म तारीख *	पैन

*वरिष्ठ नागरिक दर के लाभ के लिए कृपया जन्म तारीख का प्रमाण प्रस्तुत करें

1. जमा राशि का विकल्प – कॉलेबल ☐ (अवधि-पूर्व भुगतान की अनुमति है) नॉन कॉलेबल ☐ ** (अवधि-पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं है)
2. जमा की अवधि _____ (दिन/महिना/वर्ष) ब्याज दर प्रति वर्ष _____ जमा राशि रु. _____
(रुपये _____)
3. a. एमआईपी/क्यूआईपी के मामले में- ब्याज - मासिक/तिमाही आधार पर देय होगा.
b. ब्याज आपकी _____ शाखा में खाता सं _____ में जमा किया जाना है.
4. परिपक्वता सम्बंधी अनुदेश:
(i) खाता सं. _____ में जमा करें/मूलधन का नवीकरण/ब्याज के साथ मूलधन
का _____ (दिन/महिना/वर्ष) की अवधि के लिए नवीकरण करें.
(ii) परिपक्वता सम्बंधी अनुदेश न होने पर मीयादी जमा बैंक की स्वतः नवीकरण योजना के अनुरूप स्वतः नवीकृत हो जाएगी.
5. अवयस्क के मामले में: अभिभावक का नाम _____ अभिभावकता का प्रकार _____ अल्पवयस्क के साथ
सम्बंध _____ निधि का स्रोत _____ भरा जाए.
6. कोई अन्य अनुदेश _____
7. परिचालन सम्बंधी अनुदेश (कृपया उपयुक्त बॉक्स में ✓ का चिह्न लगाएं):

स्वयं	कोई एक या उत्तरजीवी	पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी व्यक्ति	संयुक्त रूप से	कोई एक या उत्तरजीवी/उत्तरजीवियों	अन्य (कृपया ब्यौरा दें)

8. मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं कि मीयादी जमा एवं परिपक्वता मूल्य पर प्राप्त ब्याज, आयकर के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप टीडीएस के अधीन है.

नियम एवं शर्तें:

सावधि जमा के नियमों के लिए, हमारी वेबसाइट www.nainitalbank.co.in- Deposit section देखें.

- a. साधारण ब्याज की अनुमति मासिक, तिमाही, अर्ध-वार्षिक या परिपक्वता पर, अवधि और जमा के प्रकार तथा ग्राहक के अनुदेशों के अनुरूप होती है। मासिक आय योजना पर ब्याज में कटौती नियमों के अनुरूप की जाती है। आरआईआरडी पर ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित किया जाता है तथा परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है।
- b. जमाराशि के अवधिपूर्व आहरणों पर विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा। कृपया शाखा से पुष्टि प्राप्त करें/ बैंक की वेबसाइट पर दिए गए एफडी नियमों का संदर्भ लें।
- c. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की मीयादी जमाओं के लिए पूर्व भुगतान की अनुमति बैंक के विवेकानुसार दी जाएगी।
- d. यदि ब्याज पर कर की कटौती खोत पर की जाती है तो मीयादी जमा का परिपक्वता मूल्य समायोजित किया जाएगा।
- e. यदि जमाराशि किसी "नॉन कॉलेबल योजना" के अंतर्गत रखी जाती है तो उसको चाहे कोई भी नाम दें, "अवधिपूर्व भुगतान की अनुमति किसी भी कारण से नहीं दी जाएगी"

मैंने/हमने बैंक के मीयादी जमा खातों संबंधी नियमों को पढ़ और समझ लिया है और ऐसे खातों के लिए वे अब जिस प्रकार लागू हैं एवं समय समय पर लागू होंगे, मैं/हम इनके पालन के लिए सहमत हूँ/हैं तथा इनके प्रति समर्पित हूँ/हैं. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरी/हमारी संस्था के गठन/साझेदारों/निदेशकों/प्रबंधन समिति/संस्था के अंतर्नियमों में, मेरे/हमारे पते में कोई परिवर्तन होने पर बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे.

खाता धारकों के हस्ताक्षर

संयुक्त नामों की जमा राशियों के मामले में वचन पत्र/ सहमति/ घोषणापत्र

- बैंक हममें से किसी एक या अधिक से लिखित आवेदन की प्राप्ति होने पर अपने पूर्ण विवेक से तथा जैसा कि बैंक निर्धारित करे ऐसे नियम एवं शर्तों के अधीन, हमारे संयुक्त नामों पर जारी की जाने वाली मीयादी जमा रसीद की प्रतिभूति पर ऋण या अग्रिम प्रदान कर सकता है।
- मैं/हम वचन देता/देते हैं/हैं कि "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति" के परिचालन अनुदेशों वाली मीयादी जमाओं के मामले में, जमाकर्ताओं के दोनों में से किसी एक व्यक्ति या पूर्ववर्ती व्यक्ति की मृत्यु होने पर जैसा भी मामला हो, मृत जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के साथ आवेदन करने पर मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिस की सहमति के बिना उत्तरजीवी को अवधिपूर्व समाप्ति/भुगतान की अनुमति होगी।

खाता धारकों के हस्ताक्षर

नामांकन:

- कृपया दिए गए आवेदन के अनुसार नामांकन पंजीकृत करें/ नामांकन हेतु इच्छुक नहीं है।
- नामित व्यक्ति का नाम रसीद पर प्रिंट करें : हां/नहीं

बैंक जमाओं के सम्बंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45ZA से 45ZF तथा बैंककारी कम्पनी (नामांकन) नियम 1985 की धारा 2(i) के अंतर्गत नामांकन.

मैं/हम _____

[नाम(मों) और पता(ते)] निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करता/करते हैं/हैं जिसे मेरे/हमारे/अवयस्क की मृत्यु होने पर, नीचे दर्शाई गयी विवरणों वाली जमा राशि दि नैनीताल बैंक की _____ शाखा द्वारा वापस की जाए.

जमा का प्रकार	विशेषता सं.	सूचक	अतिरिक्त विवरण(यदि कोई हो)	नामित व्यक्ति का नाम	नामित व्यक्ति का पता	जमाकर्ता के साथ सम्बंध	उम्र	यदि नामित व्यक्ति अवयस्क हो तो उसके जन्म की दिनांक*

* चूंकि नामित व्यक्ति इस तारीख तक अवयस्क है, मैं/हम मेरी/हमारी/ अवयस्क की अवयस्कता के दौरान मृत्यु होने पर जमा राशि प्राप्त करने हेतु श्री/श्रीमती/सुश्री _____ (नाम, पता और उम्र) को नियुक्त करता/करते हैं/हैं.

* यदि नामित व्यक्ति अवयस्क नहीं है तो काट दें.

दिनांक:

स्थान:

@साक्षी का नाम, पता एवं हस्ताक्षर	#जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

@ अवयस्क के नाम से राशि जमा की गयी हो, तो अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए कानूनन अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा नामांकन हस्ताक्षरित होना चाहिए.

अंगूठे के निशान(नों) को दो साक्षियों द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा.

यदि पैन प्रस्तुत नहीं किया गया है - कृपया फॉर्म 60 प्रस्तुत करें

कार्यालय उपयोग हेतु

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने इनके विद्यमान खाता सं. _____ से इनके केवायसी अनुपालन का सत्यापन कर लिया है तथा एतद्वारा पुष्टि करता हूं कि केवायसी मानदंडों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है.

धनशोधन जोखिम वर्गीकरण : निम्न/मध्यम/उच्च

नामांकन पंजीकृत हां/ना

दिनांक: _____

यदि हां, नामांकन पंजीकरण सं. _____

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर _____

नमूना हस्ताक्षर सं. _____

शाखा प्रमुख/संयुक्त प्रबंधक का हस्ताक्षर _____

नमूना हस्ताक्षर सं. _____

****नॉन कॉलेबल जमा के संबंध में शाखा/नजदीकी शाखा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें.**